मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 178
21.06.2019 को उत्तर के लिए

गांवों के पुनर्वास हेतु अनुदान

178. श्री गोपाल शेट्टी :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं आयोजना प्राधिकरण (कैम्पा) निधि के ब्याज आय से संरक्षित क्षेत्रों में गांवों के पुनर्वास हेतु विशेष अनुदान से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप देने की संभावना है तथा इसमें विलंब के क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावेडकर)

(क) जी हां । राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण ने वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक प्रचालन योजना प्रस्तुत की है जिसमें ब्याज घटक से संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के स्वैच्छिक पुनर्वास के लिए 112.00 करोड़ रुपए (एक सौ बारह करोड़ रुपए) की राशि प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) प्रतिपूरक वनीकरण निधि नियम, 2018 के अनुसार, राज्य प्राधिकरण द्वारा राज्य प्राधिकरण की वार्षिक प्रचालन की योजना अगले वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण को प्रत्येक वर्ष 31 दिसंबर से पहले प्रस्तुत करनी होगी। राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण, महाराष्ट्र ने वार्षिक प्रचालन योजना, 2019-20 अपने पत्र दिनांक 08.05.2019 द्वारा प्रस्तुत कर दी है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम, 2016 के अनुसार राष्ट्रीय प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा अपनी अगली बैठक में वार्षिक प्रचालन योजना पर अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा।

*****